

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

कमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-19/18/

दिनांक

आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक 8561 दिनांक 30.5.18 के द्वारा वर्ष 2019 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने वाले अराजपत्रित कार्मिकों के राज्य सेवा से सेवा निवृत्ति आदेश जारी किये गये थे।

आदेश के मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ सेवा संवर्ग में कम संख्या 2 पर अंकित श्री अजय कुमार शर्मा / श्री कृष्ण मोहन शर्मा, कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर ब जो माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्यरत है, के दिनांक 30.04.2019 को सेवा निवृत्त आदेश जारी किये गये।

उक्त कार्मिक मूल रूप से हौम्योपैथिक बोर्ड का कार्मिक होने से श्री अजय कुमार शर्मा के सेवा निवृत्ति आदेश हौम्योपैथिक बोर्ड स्तर से ही जारी किये जाने है।

अतः इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30.05.18 के द्वारा जारी श्री अजय कुमार शर्मा / श्री कृष्ण मोहन शर्मा, कनिष्ठ सहायक के सेवा निवृत्ति आदेश को विलोपित किया जाता है।

4
(स्नेहलता पंवार)


निदेशक

दिनांक 11.07.18

कमांकप.1/प्रति7/अधि.से.नि-19/18/ 10851

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. रजिस्ट्रार हौम्योपैथिक बोर्ड सैक्टर 12 मानसरोवर जयपुर को दी जाकर लेख है कि श्री अजय कुमार शर्मा मूल रूप हौम्योपैथिक बोर्ड के कार्मिक है, अतः इनके सेवा निवृत्ति आदेश आपके स्तर से जारी करावे।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग जयपुर।
4. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला जयपुर ब।
5. संबंधित कार्मिक को द्वारा उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला जयपुर ब।
6. प्रभारी प्रति-4/प्रति-6/गोपनीय/जॉच निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
7. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालय को जरिये ई-मेल करे।
8. सामान्य पत्रावली


अति.निदेशक(आयु.)